न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—110/2019/223 (2019/00110)

1. कमल जैन पुत्र मिलापचंद जैन, जाति महाजन जैन, निवासी केकड़ी तह0 केकड़ी जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. धर्मीचन्द पुत्र हंगामीलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— मु0 बसंत कंवर बवो धर्मीचंद मेड़तवाल, निवासी मकान नं0 100 विशाल सोसायटी इसनपुर पोस्ट अहमदाबाद— गुजरात ।
   1/2— विनय कुमार पुत्र धर्मीचंद मेड़तवाल द्वारा कटारिया ट्रांसपोर्ट क0 6, राजपूतपुरा, पोस्ट राजकोट जिला राजकोट, गुजरात ।
   1/3— सज्जन कुमार पुत्र धर्मीचंद मेड़तवाल, निवासी मार्फत कटारिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी, प्रेम दरवाजा, सूर्यादास मंदिर के पास, पोस्ट अहमदाबाद गुजरात ।
   1/4— अशोक कुमार पुत्र धर्मीचंद मेड़तवाल, निवासी द्वारा कटारिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी, कनकिया प्लोट पोस्ट जेतपुर, जिला राजकोट—गुजरात।
   1/5— विमल कुमार पुत्र धर्मीचंद मेड़तवाल, नि0 म0नं0 100, विशाल सोसायटी, इसनपुर पोस्ट अहमबाद—गुजरात ।
   1/6— प्रदीप कुमार पुत्र धर्मीचंद मेड़तवाल, नि0 द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न केरिंग कॉरपोरेशन, सब्जी मण्डी पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा ।
   1/7— सुशीला कुमारी पत्नि अशोक कुमार बोहरा, बोहरा भवन, महावीर स्थानक के पास लाखन कोटड़ी, अजमेर ।
   1/8— आभा कुमारी पत्नि शंकरलाल नायटा, नि0 सदर बाजार, पोस्ट, गुलाबपुरा, जिला भीलवाडा ।
   1/9— रेखा कुमारी पत्नि अक्षय कुमार कोठारी, निवासी जमोला फैक्ट्री, विकास बाल मंदिर के पास, पोस्ट विजयनगर, जिला अजमेर ।
2. शम्भूसिंह पुत्र हंगामीलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— भंवर कंवर,
   2/2— राजेश कुमार,
   2/3— पारस कुमार,
   2/4— आशा दुग्गड़,
   2/5— लक्ष्मी सेठ,
   समस्त निवासी केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. गोपीचंद (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— सुरेन्द्र, निवासी केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. चन्द्रसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   4/1— निहालचंद,
   4/2— भागचंद,
   4/3— ताराचंद,
   समस्त निवासी केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. रूपचन्द पुत्र सुआलाल मेड़तवाल ओसवाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   5/1— सोहन कंवर बेवा रूपचंद,
   5/2— राजेन्द्र कुमार पुत्र रूपचंद (मृतक) जरिये वारिसानः—
   5/2/1—ममता मेड़तवाल पत्नि राजेन्द्र कुमार,
   5/2/2—प्रियंका निगम पत्नि वैभव निगम,
   5/2/3—ऋषि मेडतवाल पुत्र राजेन्द्र कुमार,

5/3— प्रकाश चंद पुत्र रूपचंद,
5/4— महेन्द्र कुमार पुत्र रूपचंद,
5/5— पारस छाजड़ पत्नि गुलाबचंद,
5/6— निर्मला मारू पत्नि निर्मल कुमार,
5/7— शीता चतुर पत्नि श्रीकान्त,
समस्त निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

6. मोहनलाल पुत्र किस्तूरमल महाजन कटारिया, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक (3.6.2000) 18.11.2013 सपठित दिनांक 5.11.2018 अंतर्गत वाद संख्या 113/1994 (82/69).

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1/6.
3. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2/2 व 2/3.

.

निर्णय

दिनांकः— 9.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक (3.6.2000) 18.11.2013 सपठित दिनांक 5.11.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट श्री कमल जैन द्वारा रेस्पो0 के विरूद्ध यह अपील अंतर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक (3.6.2000) 18.11.2013 सपठित दिनांक 5.11.2018 बउनवान धर्मीचंद बनाम रूपचंद के विरूद्ध पेश कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक (3.6.2000) 18.11.2013 सपठित दिनांक 5.11.2018 को निरस्त कर अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 30.6.1994 के अनुसरण में पुनः तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाकर अंतिम डिक्री पारित करने का निवेदन किया ।
3. अपील के साथ प्रार्थी/अपीलांट द्वारा धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किये गये । हाजा न्यायालय सर्वप्रथम धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र का निर्णय करना उचित समझता है ताकि इस तथ्य का निर्धारण किया जा सके कि आया अपीलांट/प्रार्थी अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार है अथवा नहीं एवं अपीलांट/प्रार्थी को इस आधार पर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे अथवा नहीं ?
4. धारा 96 जा0दी0 आवेदन पत्र में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 व 4 क्रमशः गोपीचंद जरिये वारिसान एवं चन्द्रसिंह जरिये वारिसान से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2013 को उनके हिस्से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया । इस कारण अधी0न्याया0 के निर्णय के अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक (3.

6.2000) 18.11.2013 सपठित दिनांक 5.11.2018 से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है इस कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. उक्त धारा 96 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब रेस्पो0 संख्या 1/6 प्रदीप कुमार पुत्र धर्मीचंद की ओर से पेश हुआ जिसमें उल्लेख किया गया कि अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 18.11.2013 को पारित की जाकर दिनाक 24.12.2013 को अधिकार अभिलेख में अमल दरामद भी कर दिया गया था इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा दिनांक 31.12.2013 को रेस्पो0 संख्या 3 व 4 के वारिसान से उनका निहित हिस्सा क्रय करना अविधिक एवं गलत है जबकि भूमि पूर्व से ही विधिवत् विभाजित होकर राजस्व अभिलेख में दर्ज की जा चुकी थी । बहस में आगे यह भी कथन किया कि अपीलांट/प्रार्थी अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से कतई व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार नहीं है । इस कारण अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किया जावे एवं अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जावे ।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2/2 एवं 2/3 ने आवेदन पत्र धारा 96 जा0दी0 का जवाब पेश कर कथन किया कि अपीलांट को अधी0न्याया0 के द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री की संपूर्ण जानकारी प्रारंभ से रही है, यहां तक कि अंतिम निर्णय व डिक्री हेतु स्टाम्प भी कमल जैन के नाम से क्रय किया गया था । अपीलांट के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2013 में भी अधी0न्याया0 द्वारा पारित पूर्व निर्णयों का उल्लेख किया गया है । इस प्रकार अपीलांट को अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री की भली–भांति जानकारी रही कि अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2013 को विधिवत् स्टाम्प पर पारित कर दी गई है एवं जिसकी पालना में राजस्व अभिलेख में भी भूमि पृथक–पृथक दर्ज कर दी गई है इसके बावजूद भी दिनांक 31.12.2013 को अपीलांट द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के वारिसान का निहित हिस्सा क्रय कर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाना अविधिक व गलत है । अतः इस कारण अपीलांट किसी भी प्रकार से अधी0न्याया0 के अंतिम निर्णय व डिक्री से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आता है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किया जाकर अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जावे।

7. उक्त आवेदन धारा 96 जा0दी0 पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि में से अपीलांट द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र भूमि में उनका निहित हिस्सा क्रय किया गया है। तथा इसी आराजी बाबत् अधी0न्याया0 द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है । इस प्रकार विवादित भूमि में उनका हित निहित होने से वे इस निर्णय व अंतिम डिक्री में व्यथित पक्षकार के रूप में है । आगे यह भी कथन किया कि निर्णय व डिक्री में वे पक्षकार नहीं थे अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अविधिक होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है । अतः समुचित न्याय निर्णयन के लिए उन्हें हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे तथा उनके द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

8. दौराने बहस विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंटस ने कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में ही अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक (3.6.2000) 18.11.2013 सपठित दिनांक 5.11.2018 को पारित कर दी गई थी एवं अंतिम निर्णय व डिक्री के अनुसार विशिष्ट भूमि पक्षकारों को आवंटित करते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई है एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में भी अमल दरामद कर दिया गया था जिसकी पूर्ण जानकारी होते हुए भी अपीलांट द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 व 4 से हिस्सा क्रय करना अविधिक है एवं इस आधार पर अंतिम निर्णय व

डिक्री को आक्षेपित करना विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 के अंतिम निर्णय व डिक्री से अपीलांट किसी भी प्रकार से व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार नहीं है । इस कारण प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जावे ।

9. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व रेस्पो0/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्रों अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का भी अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2013 के अनुसार खसरा नंबर 2085 मिन रकबा 2–3–10, खसरा नंबर 2086 मिन रकबा 1–18–10, खसरा नंबर 2087 मिन रकबा 1–12–10, खसरा नंबर 2080 मिन रकबा 4–10–00 कुल रकबा 10–4–10 बीघा भूमि धर्मीचंद एवं शम्भूसिंह के वारिसान को अंतिम बंटवारे के अनुसार दी गई थी। इसी प्रकार रूपचंद, गोपीचंद एवं चन्द्रसिंह पुत्रान सुआलाल को खसरा नंबर 2085 मिन रकबा 2–3–0, खसरा नंबर मिन 2086 रकबा 1–18–00, खसरा नंबर मिन 2087 रकबा 1–13–00, खसरा नबर 2080 मिन रकबा 4–11–00 कुल रकबा 10–5–00 बीघा भूमि बंटवारे के अनुसार दी गई है । उक्त का अकन राजस्व अभिलेख में विधिवत् रूप से दिनांक 24.12.2013 को कर दिया गया था । अंतिम निर्णय व डिक्री के अनुसार उपर वर्णित भूमियां रूपचंद, गोपीचंद व चन्द्रसिंह पुत्रान सुआलाल को प्राप्त हुई है उनके मिलान क्षैत्रफल के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 5096, 5097, 5098 व 5089 बनना अपीलांट द्वारा पेश किये गये जो प्रस्तुत किये गये मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट होता है । अपीलांट द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री जारी होने एवं इसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने के बावजूद एवं इस बाबत् संपूर्ण तथ्यों की जानकारी अपीलांट को होते हुए भी दो अलग–अलग विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2013 से खसरा नंबर 9342/5089 रकबा 0.74 है0, खसरा नंबर 9343/5096 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 9344/5097 रकबा 0.31 है0, खसरा नंबर 9345/5098 रकबा 0.26 है0 प्रत्यर्थी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 का 1 /3 हिस्सा क्रय किया है एवं इसी प्रकार चाह खसरा नंबर 9346/5096 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 9347/5097 रकबा 0.06 एवं खसरा नंबर 5103 रकबा 0.01 है0 में से क्रमशः 1/6, 1/6 हिस्सा क्रय किया गया है जबकि अधी0न्याया0 द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक (3.6.2000) 18.11.2013 को ही पारित कर भूमि पक्षकारान को पृथक–पृथक रूप से विभाजित कर दे दी गई थी एवं अंतिम डिक्री का अंकन भी राजस्व अभिलेख में विधिवत् रूप से दिनांक 24.12.2013 को कर दिया गया था जिसकी भली–भांति जानकारी अपीलांट/प्रार्थी को रही है क्योंकि स्वंय अपीलांट/प्रार्थी के पंजीबद्ध दोनों विक्रयपत्रों में भूमि के विवाद एवं अधी0न्याया0 द्वारा पारित पूर्व निर्णयों का उल्लेख दर्ज है एवं जब अधी0न्याया0 द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2013 को पारित कर भूमियां विभाजित कर दी गई थी तो इसके उपरांत भूमियां संयुक्त नहीं रही एवं अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 का निहित हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2013 को क्रय करना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है तथा अपीलांट उपरोक्त विक्रय पत्रों के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18.11.2013 को चुनौती नहीं दे सकता है क्योंकि उसके द्वारा विवादित भूमियां ही अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2013 पारित होने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 का हिस्सा क्रय किया गया है, जिसके आधार पर अपीलांट/प्रार्थी अंतिम निर्णय व

डिक्री दिनांक 18.11.2013 से न तो व्यथित पक्षकार हो सकता है ओर न ही पीड़ित पक्षकार हो सकता है । इस प्रकार अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील जिन आधारों पर प्रस्तुत की गई है उपरोक्तानुसार विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2013 को विधिक रूप से चुनौती देने के अधिकारी ही नहीं है क्योंकि अपीलांट ने अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2013 पारित होने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 से भूमि को संयुक्त एवसं अविभाजित मानते हुए उनमें अन्तनिर्हित हिस्सा क्रय किया है जो अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2013 के परिप्रेक्ष्य में विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । इस कारण अपीलांट/प्रार्थी अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18.11.2013 को विधिक दृष्टि से किसी भी रूप में चुनौती देने के अधिकारी नहीं है ।

10. उपरोक्त समग्र विवेचन एवं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 सारहीन पाये जाने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है । ।

11. अतः अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किया जाता है । इस प्रार्थना पत्र के खारिज किये जाने के परिणामस्वरूप अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण अपील अपीलांट भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 9.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर